प्रेस विज्ञप्ति

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय

नई दिल्ली

13th अगस्त, 2026

भारतनेट पर निष्पादन लेखापरीक्षा – सिविल प्रतिवेदन संसद में प्रस्तुत

'भारतनेट की निष्पादन लेखापरीक्षा' पर वर्ष 2026 की निष्पादन लेखापरीक्षा – सिविल प्रतिवेदन संख्या 19 को संसद में 12.08.2026 को प्रस्तुत किया गया। इस प्रतिवेदन में 2017-18 से 2022-23 की अवधि के लिये दूरसंचार विभाग के भारतनेट परियोजना के निष्पादन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण निष्कर्ष सम्मिलित है जो कि परियोजना के चरण-II पर केन्द्रित है।

इस प्रतिवेदन में उल्लिखित प्रकरण वे हैं जो अक्टूबर 2023 से अगस्त 2024 में की गई नमूना जांच के दौरान संज्ञान में आए। परियोजना की स्थिति को नवंबर 2025 तक अद्यतित किया गया है।

ग्रामीण ब्रॉडबैंड सम्पर्क सामाजिक-आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण उत्प्रेरक है और इस आवश्यकता की पूर्ति के उद्देश्य से प्रारंभ की गई भारतनेट परियोजना विश्व की सबसे बड़ी दूरसंचार पहलों में से एक है। चरणबद्ध तरीके से क्रियान्वित इस परियोजना का उद्देश्य भारत के लगभग 2.5 लाख ग्राम पंचायतों (जी पी) को ब्रॉडबैंड पहुंच प्रदान करना है। निष्पादन लेखापरीक्षा हेतु इस परियोजना का चयन इस तथ्य को स्वीकार करता है कि डिजिटल समावेशन के माध्यम से ग्रामीण समुदायों में व्यापक परिवर्तन की अपार संभावनाएँ हैं।

भारतनेट परियोजना की परिकल्पना अक्टूबर 2011 में की गई थी तथा 2012 में इसके क्रियान्वयन हेतु भारत ब्राडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (बी बी एन एल) को एक विशेष प्रयोजन वाहन (एस पी वी) के रूप में शामिल किया गया। परियोजना के चरण-I एवं चरण-II के कार्यान्वयन का संचालन बी बी एन एल द्वारा किया गया। यह सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यू एस ओ एफ) से वित्तपोषित है, जिसे वर्तमान में डिजिटल भारत निधि (डी बी एन) के नाम से जाना जाता है। नवंबर 2025 तक स्वीकृत ₹42,068 करोड़ (चरण-I में ₹11,148 करोड़ तथा चरण-II में ₹30,920 करोड़) के बजट की तुलना में ₹39,888 करोड़ का व्यय किया जा चुका है। नवंबर 2025 तक 2.26 लाख ग्राम पंचायतों के संशोधित कार्यक्षेत्र की तुलना में 2.19 लाख ग्राम पंचायतों (96.70 प्रतिशत) में भारतनेट सेवा के लिए तैयार स्थिति में था।

(पैरा 1.1, 1.5, 3.3.2)

लेखापरीक्षा मुख्यतः परियोजना के चरण-II पर केंद्रित है तथा इसका उद्देश्य परियोजना के दो पहलुओं के संबंध में आश्वासन प्राप्त करना है: इष्टतम उपयोग के साथ प्रभावी अंतिम सम्पर्क प्रदान करने हेतु परियोजना की क्षमता; तथा कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियों की पहचान एवं उनके समाधान में इसकी शासन संरचना की सुदृढ़ता। हमने भारत ब्राडबैंड नेटवर्क लिमिटेड तथा भारत संचार निगम लिमिटेड के निगमित कार्यालयों, सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि, दूरसंचार विभाग तथा आठ चयनित राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में स्थित क्षेत्रीय इकाइयों की लेखापरीक्षा की।

(पैरा 2.1, 2.2, 2.3)

हमने परियोजना के योजना निर्माण तथा कार्यान्वयन में कमियाँ देखी। हालांकि, 20 राज्यों (21 सर्किलों) में तीन कार्यान्वयन मॉडलों – केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सी पी एस यू) नेतृत्व मॉडल, राज्य नेतृत्व मॉडल तथा निजी-नेतृत्व मॉडल के माध्यम से चरण-II को लागू करने की योजना बनाई थी। इसे केवल 13 राज्यों (14 सर्किलों) में ही लागू किया जा सका। परियोजना के प्रारंभ का आधार बिंदु विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी पी आर) को डेस्कटॉप सर्वेक्षण के आधार पर तैयार किया गया, जबकि इसे अनिवार्य रूप से भौतिक सर्वेक्षणों के आधार पर तैयार किया जाना था। बी बी एन एल द्वारा निजी नेतृत्व मॉडल के अंतर्गत पंजाब तथा बिहार में परियोजनाओं का कार्यान्वयन डी पी आर तैयार किए बिना किया गया। दूरस्थ क्षेत्रों में संपर्क सुविधा उपलब्ध कराने के लिए निर्धारित सैटेलाइट घटक के अंतर्गत, बी बी एन एल ने सेवा के लिए तैयार ग्राम पंचायतों में भी वाई-फाई एक्सेस पॉइंट स्थापित नहीं किए, जिससे अंतिम उपयोगकर्ता प्रस्तावित ब्रॉडबैंड सेवाओं का लाभ प्राप्त नहीं कर सके। इसके अतिरिक्त, नवंबर 2025 तक केवल छह राज्यों (सात सर्किलों) ने 100 प्रतिशत सेवा के लिए तैयार स्थिति प्राप्त की, जबकि सभी कार्यान्वयन मॉडलों में दो से छह वर्ष तक का विलंब पाया गया। परियोजना के क्रियान्वयन में देरी के चलते ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी मिलने में विलंब हुआ, जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यवसाय, मनोरंजन और ई-गवर्नेंस जैसी सेवाओं तक पहुँच प्रदान करना था, जिसके परिणामस्वरूप प्रारंभिक सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन के उद्देश्य की समयबद्ध प्राप्ति प्रभावित हुई।

(पैरा 3.1, 3.2)

नेटवर्क अवसंरचना का अधिकांश भाग स्थापित कर दिया गया है जिसमें (नवंबर 2025) लक्षित ग्राम पंचायतों के 96.70 प्रतिशत से अधिक को शामिल किया गया है तथापि, इसे कुशल संचालन, उपयोग तथा राजस्व सृजन में परिवर्तित नहीं किया जा सका। परिचालन निष्पादन लगातार डाउनटाइम, कम उपलब्धता और खराब दोष- निवारण रिकॉर्ड के साथ काफी कम रहा। नवंबर 2025 तक सेवा के लिए तैयार ग्राम पंचायतों में से केवल 33.20 प्रतिशत ग्राम पंचायतें

ही सक्रिय थीं। डाउनटाइम का प्रमुख कारण फाइबर दोष अथवा कटाव रहा, जो लगभग 48 प्रतिशत गैर-परिचालनात्मक मामलों के लिए उत्तरदायी था। इसके अतिरिक्त, फाइबर दोषों में सुधार करने का औसत समय (एम टी टी आर) लगभग 17 दिन रहा, जो रखरखाव प्रतिक्रिया में विलंब को दर्शाता है। इसके अलावा, फाइबर दोष स्थान निर्धारण प्रणाली के एकीकरण में असमर्थता के कारण रखरखाव कार्य बाधित हुआ। गुजरात और पंजाब राज्य जहाँ सक्रिय ग्राम पंचायतों का प्रतिशत 90 प्रतिशत से अधिक रहा है को छोड़कर सभी राज्यों में भारतनेट की परिचालन स्थिति एक चुनौती बनी हुई है।

(पैरा 1.5, 3.2.5, 4.2)

हमने देखा कि उपलब्ध बैंडविड्थ का केवल 17.91 प्रतिशत ही उपयोग किया गया था। इसके अतिरिक्त, सेवा गुणवत्ता से संबंधित समस्याओं के कारण प्रमुख दूरसंचार सेवा प्रदाताओं सहित प्रमुख हितधारकों ने परियोजना से अपने को अलग कर लिया। मांग होने के बावजूद, कई मामलों में नीति का अभाव अथवा राज्य कार्यान्वयन एजेंसी स्तर पर निर्णय लेने में विलंब के कारण डार्क फाइबर पट्टे पर नहीं दिया गया था। कम उपयोग के कारण भारतनेट की जमीनी स्तर पर परिवर्तन लाने की क्षमता प्रभावित हुई।

(पैरा 4.3)

परियोजना की परिकल्पना स्वतः स्थिर होने के रूप में की गई थी, किन्तु उच्च रखरखाव लागत तथा अल्प राजस्व के कारण यह अपेक्षा पूर्ण नहीं हो सकी। वित्तीय पर्यवेक्षण एक महत्वपूर्ण समस्या के रूप में उभरा। सी पी एस यू-नेतृत्व मॉडल के अंतर्गत माइलस्टोन-आधारित भुगतान मॉडल विशेष रूप से सबसे कमजोर पाया गया, जिससे सेवा प्रदाय में कमी आई; जबकि निजी नेतृत्व मॉडल में अपेक्षाकृत बेहतर वित्तीय अनुशासन तथा सेवा प्रदाय देखा गया। इसके अतिरिक्त, हमने देखा कि बी एस एन एल ने सी पी एस यू-नेतृत्व मॉडल के अंतर्गत परियोजना निधि में से ₹2,001.43 करोड़ की राशि का उपयोग अन्य प्रयोजनों के लिए किया था जिसे पुनः परियोजना निधि में जमा कर दिया गया है और संशोधित भारतनेट परियोजना (ए बी पी) के अंतर्गत अब उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य किया गया है।

(पैरा 3.3, 4.4)

समग्र रूप से, हमारी लेखापरीक्षा से यह निष्कर्ष निकलता है कि यद्यपि भारतनेट ने अवसंरचना के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है, तथापि यह डिजिटल विभाजन को समाप्त करने के अपने व्यापक उद्देश्य की पूर्ति में सफल नहीं हो सका। बी एस एन एल के साथ बी बी एन एल का विलय तथा ए बी पी के अंतर्गत एकल-एजेंसी मॉडल (बी एस एन एल) के माध्यम से भारतनेट के कार्यान्वयन का निर्णय, परियोजना में पाई गई शासन व्यवस्था एवं क्रियान्वयन संबंधी

कमियों की स्वीकृति को दर्शाता है। भारतनेट को एक सफल डिजिटल कनेक्टिविटी पहल में रूपांतरित करने के कार्यान्वयन के दौरान लेखा परीक्षा सिफारिशों में सुझाए गए सुधारों पर विचार किया जा सकता है। इन सुधारों का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि अगस्त 2023 में मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित ए बी पी का उद्देश्य परियोजना के दायरे को पहले के चरणों में शामिल 2.5 लाख ग्राम पंचायतों से बढ़ाकर पूरे भारत के 6.4 लाख गांवों/ग्राम पंचायतों तक विस्तारित करना है।

BSC/R/TT/IK/76-26